

तारीख
हुकम

न्यायालय उपखण्ड की न्याय शरणवादी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

वसुध हरद्वारा जस सरकार

29/6/18

29/6/18
AEM PHED

आज यह पत्रालिका शरण लोके उदाहर
आभियान न्याय को आपके हाथ में मय जाय
नं० 2 पर पत्र है। पत्रकार डा. फी, अफगाण
की गणना प्रकरण (व्यक्ति विवेचना) से
पावतु कराने का है। यदि क्व क्व क्व है
कि उर्वेवादीगण नं० 3 रकम (वर्धन) की शरण
5224/4062 रकम 15 बिल्व एव 1884/5108
रकम 12 बिल्व एव एव 1889 रकम
9 बिल्व स्विट काल्य परिध नं० 2 में
पावतु कराने सरकारी डेटा मय लगाना
चाहते हैं। अफगाण एक शेकन पर मान
नहीं है इसलिए यह शरण (व्यक्ति विवेचना)
से पावतु कराने हेतु पत्र लिखा है। आपने
पुत्र मय उर्वेवादीगण द्वारा शरण के वापस
से हुकम लिखा है तथा हेतु मय सरकारी
जमीन में से लगाने की प्रस्ताव करने
की कोर मय है। हेतु मय डी पी लगाने
से। अफगाण की गणना उर्वेवादीगण रकम
जमीन मय हेतु मय लगान पर सहमत
है।

कहा जाये है कि उर्वेवादीगण को व्यक्ति
विवेचना से पावतु किया जाता है कि वे
वापस की (वर्धन) की जमीन में हेतु मय
नहीं लगाने। केवल सरकारी जमीन मय
हेतु मय लगाने। नये हुकम एजेंटों को
लगाने का वापस की (वर्धन) की जमीन
का नं० 5224/4062 रकम 15 बिल्व एव
1884/5108 रकम 12 बिल्व एव एव 1889 रकम
9 बिल्व स्विट काल्य परिध नं० 2 में ही डेटा
में हेतु मय नहीं लगाने वापस पावतु किया
जाता है। पर्या 15 की मय से पत्रालिका
के मय सुमार डेटा वापस तक मय डेटा
डेटा है। हुकम सुनाया गया।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके हाथ-2016

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)